



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1939 (श0)

(सं० पटना 68) पटना, वृहस्पतिवार, 25 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 जनवरी 2018

अधिसूचना संख्या 1/2018- राज्य कर (दर)

एस०ओ० 129, दिनांक 25 जनवरी 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे संख्या 554 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (iv) में,

(i) उप मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भूमि को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए वर्तमान मलिन बस्तियों का स्व:स्थानिक पुनर्विकास;”;

(ii) उप मद (घ) के पश्चात निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(घक) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य/स्थानीय प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा भागीदारी के तहत एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्मित आवासों से संबंधित हो;

(घख) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग-1 (एमआईजी-1)/मध्यम आय वर्ग-2 (एमआईजी-2) से संबंधित क्रेडिट लिंक सिब्सडी स्कीम के अंतर्गत निर्मित या अधिग्रहित मकानों से संबंधित हो”;

(iii) उप मद (च) के पश्चात निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(छ) ऐसा भवन जो कि ऐसे किसी निकाय के स्वामित्व में हो जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत पंजीकृत हो, जिसका प्रयोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को प्रदान करने, केन्द्रीय रूप से तैयार करने या उसका वितरण करने के कार्य में किया जाता हो,”

ख. मद (V) में,

(i) उप मद (क) में “छोड़कर” शब्द के स्थानपर “समेत” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ii) उप मद (घ) के पश्चात निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

“(घक) किसी एफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना के अंतर्गत बनाए गए सस्ते मकान जिनका कार्पेट एरिया 60 वर्ग मीटर प्रति मकान हो जिनको भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले के विभाग की अधिसूचना, फाइल संख्या 13/6/2009-आईएनएफ, दिनांक 30 मार्च, 2017 के तहत अवसंरचना का दर्जा दिया गया हो;”;

ग. मद (iX) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, कॉलम (3), (4) और (5) में, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(iX) बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (iii) या (v) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो।	6	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।
(X) बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	2.5	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी

की धारा 2 के उपखंड (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गयी हो जो कि उपर्युक्त (vii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो।		सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।
(X) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलेक्ट्रॉनिक कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए बिहार माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(xi) निर्माण सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) से भिन्न हों।	9	-";

(ख) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (v) में “प्राकृतिक गैस” शब्दों के स्थान पर “प्राकृतिक गैस, कच्चा पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), हाई स्पीड डीजल या एविएशन टरबाइन फ्यूल” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि माल (जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, से पृथक) पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया संख्या (iv) देखें]
(iii) परिवहन वाहनों को चाहे चालक समेत अथवा बिना चालक के किराए पर देने की सेवा, उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न।	9	-";

(घ) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

“16	शीर्ष 9972	(i) भूमि को पट्टे पर दिए जाने के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को दी जाने वाली सेवाएं ।	शून्य	-
		(ii) पट्टे या उप पट्टे के आधार पर किसी भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से की आपूर्ति जहां कि ऐसी आपूर्ति मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक) एवं मद (vi) के उप मद (ग) में क्रम संख्या 3 के समक्ष प्रविष्टि के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट फ्लैटों आदि के निर्माण की संयुक्त आपूर्ति का एक हिस्सा है । बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे पट्टे पर या उप-पट्टे पर भारित उस किसी राशि पर लागू नहीं होगी जो कि उक्त संयुक्त आपूर्ति पर भारित कुल राशि के एक तिहाई से अधिक हो । इस परंतुक के संदर्भ में “कुल राशि” का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए इस अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में दिया गया है ।	शून्य	-
		(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) से पृथक रीएल एस्टेट सेवाएं	9	-”;

- (ड) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम संख्या (3) में मद (vii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि ऐसे माल (जो कि जहाज, जलयान, जिसमें बुल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, में लदे सामानों से पृथक) इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(viii) पट्टा या किराए की सेवाएं चाहें आपरेटर सहित हों या नहीं, जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) से पृथक हैं ।	राज्य कर की वही दर जो कि इसी प्रकार के माल, जिसमें माल के स्वामित्व का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लागू हो ।	-”;

- (च) क्रम संख्या 23 के समक्ष शर्त 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि (i) से संबंधित कॉलम (5) की प्रविष्टि में, “सेवाओं की आपूर्ति”, शब्दों के पश्चात “, इसी प्रकार के व्यापार (जैसे कि किसी अन्य दूर

ऑपरेटर से ली गई दूर आपरेटर सेवा) में इनपुट सेवाओं के इनपुट अैक्स क्रेडिट से भिन्न को अंतःस्थापित किया जाएगा।

- (छ) क्रम संख्या 23 के समक्ष कॉलम (3) के मद (ii) के स्थानपर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थानपर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलेक्ट्रॉनिक कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए बिहार माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) समर्थन सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न हों।	9	-”;

- (ज) (i) क्रम संख्या 24 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) की प्रविष्टि में दिए गए स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (i) में उपवाक्य (छ) के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ज) कृषि उत्पादों के वेयर हाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवा;”;

(ii) क्रम संख्या 24 के समक्ष कॉलम (3) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) कच्चे पेट्रोलियम और/या प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, खनन या ड्रीलिंग की सेवा	6	-
(iii) खनन, विद्युत, गैस और जल संचितरण की सहायक सेवाएं जो कि उपर्युक्त (ii) से भिन्न हों।	9	-”;

- (झ) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थानपर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	शीर्ष 9987	(i) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलेक्ट्रॉनिक कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण

			संख्या (iv) देखें]
		(ii) देखभाल, मरम्मत और संस्थापन सेवाएं (निर्माण कार्य को छोड़कर), उपर्युक्त (i) से भिन्न।	9 -”;

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) उप मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप मद को अतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(ड.क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 में आने वाले क्रमशः चमड़े के सामानों या फुटवियर का विनिर्माण;”;

(ख) मद (iii) के स्थान पर और उससे संबंधित (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) टेलरिंग सेवाएं	2.5	-
(iv) दूसरे के स्वामित्वमें आने वाले भौतिक वस्तुओं (सामानों) के विनिर्माण की सेवाएं, उपर्युक्त (i), (i क), (ii), (ii क) और (iii) से भिन्न।	9	-”;

(ट) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थानपर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	शीर्ष 9994	(i) कॉमन ईफुल्येंट प्लांट के द्वारा उत्सर्जनों के परिशोधन की सेवाएं।	6	-
		(ii) सिवेज और कचड़ों का संकलन, उनका परिशोधन और निपटान तथा अन्य पर्यावरण रक्षक सेवाएं, उपर्युक्त (i) से भिन्न	9	-”;

(ठ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3),

(क) मद (iii) के स्थानपर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थानपर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) मनोरंजन पार्को जिसमें थीम पार्कस, वाटर पार्कस, जॉय राइडस, मैरीगो राउंड, गो-कार्टिंग भी आते हैं और बैले में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।	9	-
(iii क) मनोरंजन समारोह में प्रवेश या मनोरंजन सुविधाओं, जिसमें सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन, कैसिनो, रेस क्लब और क्रीडा समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग भी शामिल हैं और इसी तरह के अन्यबातें शामिल हैं, में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।	14	-”;

(ख) मद (V) में, कोष्ठक और अंक “(iii)” के बाद कोष्ठक और अंक “(iii क),” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2 के स्थानपर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“ 2. उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या (3) के मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (V) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक); और मद (V) के उप मद (ग) के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की आपूर्ति के मामले में, जिसमें भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, का अंतरण शामिल हो तो ऐसी आपूर्ति का मूल्य उस कुल राशि के समतुल्य होगा जो कि ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि में से ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य को घटाकर प्राप्त होगी और ऐसी भूमि के या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य के लिए यह माना जाएगा कि यह ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि का एक-तिहाई होगा।

स्पष्टीकरण - उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के मामले में, “कुल राशि” से अभिप्राय -

(क) उपर्युक्त सेवाओं के एवज में भारित प्रतिफल; और

(ख) ऐसी भूमि के/की या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से के/की, जैसी भी स्थिति हो, अंतरण पर भारित राशि, जिसमें ऐसे अंतरण में पट्टा या उप पट्टा भी शामिल हैं, के योग से है”

[(सं०सं०-ब्रिकी-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-1)-01(Rate))]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

25 जनवरी 2018

एस०ओ० 129, दिनांक 25 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-ब्रिकी-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-1)-01(Rate))]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

The 25th January 2018

Notification No. 1/2018-State Tax (Rate)

S.O. 129, dated the 25th January 2018—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department Notification No. 11/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, in column (3), -

(A) in item (iv),-

- (I) for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -
‘(c) a civil structure or any other original works pertaining to the “In-situ redevelopment of existing slums using land as a resource, under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);’;
- (II) after sub-item (d), the following sub-items shall be inserted, namely: -
‘(da) a civil structure or any other original works pertaining to the “Economically Weaker Section (EWS) houses” constructed under the Affordable Housing in partnership by State or Union territory or local authority or urban development authority under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);
(db) a civil structure or any other original works pertaining to the “houses constructed or acquired under the Credit Linked Subsidy Scheme for Economically Weaker Section (EWS)/ Lower Income Group (LIG)/ Middle Income Group-1 (MIG-1)/ Middle Income Group-2 (MIG-2)” under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);’;
- (III) after sub-item (f), the following sub-items shall be inserted, namely: -
“(g) a building owned by an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which is used for carrying out the activities of providing, centralised cooking or distribution, for mid-day meals under the mid-day meal scheme sponsored by the Central Government, State Government, Union territory or local authorities.”;

(B) in item (v),

- (I) in sub-item (a), for the word “excluding”, the word “including” shall be substituted;
- (II) after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -
“(da) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in an affordable housing project which has been given infrastructure status vide notification of Government of India, in Ministry of Finance, Department of Economic Affairs vide F. No. 13/6/2009-INF, dated the 30th March, 2017;”;

(C) for item (ix) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ix) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (iii) or item (vi) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a	6	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.

Governmental Authority or a Government Entity.		
(x) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (vii) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(xi) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(xii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi) above.	9	-”;

- (b) against serial number 9, in the entry in column (3), in item (v), for the words “natural gas”, the words and brackets “natural gas, petroleum crude, motor spirit (commonly known as petrol), high speed diesel or aviation turbine fuel” shall be substituted;
- (c) against serial number 10, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(iii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- (d) for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“16	Heading 9972	(i) Services by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to governmental authority or government entity, by way of lease of land.	Nil	-
		(ii) Supply of land or undivided share of land by way of lease or sub lease where such supply is a part of composite supply of construction of flats, etc. specified in the entry in column (3), against serial number 3, at item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi). Provided that nothing contained in this entry shall apply to an amount charged for such lease and sub-lease in excess of one third of the total amount charged for the said composite supply. Total amount shall have the same meaning for the purpose of this proviso as given in paragraph 2 of this notification.	Nil	-
		(iii) Real estate services other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- (e) against serial number 17, for item (vii) in column (3), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(viii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) above.	Same rate of central tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods.	-”;

- (f) in serial number 23, against item (i) in column (3), in condition 1 in column (5), after the words “supplying the service”, the words and brackets “, other than the input tax

credit of input service in the same line of business (i.e. tour operator service procured from another tour operator)” shall be inserted;

- (g) against serial number 23, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(iii) Support services other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- (h) against serial number 24,-

(A) in the *Explanation* to item (i) in column (3), in clause (i), after sub-clause(g), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.”;

(B) for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Service of exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both.	6	-
(iii) Support services to mining, electricity, gas and water distribution other than (ii) above.	9	-”;

- (i) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25	Heading 9987	(i) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
		(ii) Maintenance, repair and installation (except construction)	9	-”;

		services, other than (i) above.		
--	--	---------------------------------	--	--

(j) against serial number 26, in column (3),-

(A) in item (i), after sub-item (e), the following sub-item shall be inserted, namely: -

“(ea) manufacture of leather goods or footwear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) respectively;”;

(B) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Tailoring services.	2.5	-
(iv) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i), (ia), (ii), (iia) and (iii) above.	9	-”;

(k) for serial number 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	Heading 9994	(i) Services by way of treatment of effluents by a Common Effluent Treatment Plant.	6	-
		(ii) Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services other than (i) above.	9	-”;

(l) against serial number 34, in column (3),-

(A) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services by way of admission to amusement parks including theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting and ballet.	9	-
(iia) Services by way of admission to entertainment events or access to amusement facilities including exhibition of cinematograph films, casinos, race club, any sporting event such as Indian Premier League and the like.	14	-”;

(B) in item (vi), after the brackets and figures “(iii)”, the brackets and figures “(iia),” shall be inserted;

(ii) for paragraph 2, the following shall be substituted, namely: -

“2. In case of supply of service specified in column (3), in item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi), against serial number 3 of the Table above, involving transfer of land or undivided share of land, as the case may be, the value of such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of transfer of land or undivided share of land, as the case may

be, and the value of such transfer of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

Explanation. –For the purposes of this paragraph, “total amount” means the sum total of,-

- (a) consideration charged for aforesaid service; and
- (b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be including by way of lease or sublease.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-1)—01(Rate)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 68-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>